न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 51/2023 बउनवानी धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता मथुरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला निर्वा.अधि.स0मा
पत्नि श्री कमलकिशोर मथुरिया निवासी, एफ.22 किरण बिहार त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर
GCMS No-2023/ 104

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
24.8..2023	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 14.6.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

–: मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पत्र कमांक 1562 दिनांक 20.4.2023 एवं निर्वाचन विभाग के पत्रांक 1877 जयपुर दिनांक 25.5.2023 जिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के नाम जारी किया गया है जिसके संबंध मे निम्नांकित सूचना दी जावे:–

a. क्या प्रकरण निर्वाचन विभाग से संबंधित है? यदि हा तो किस प्रकार से?
b. प्रकरण वर्तमान में क्या स्टेटस है? क्या श्रीमति धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता मथुरिया की वर्ष 2001 एवं 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध करवाये जाने मे कोई व्यवहारिक कठिनाई है?
c. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य प्रत्यर्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय मे क्या शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति भी उपलब्ध करावे।
d. कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज0 जयपुर का पत्र कमांक 1561–62 दिनांक 20.4.2023 पर की गयी कानूनी कार्यवाही एवं बिन्दुवार जवाब तैयार किया गया है की प्रमाणित प्रति दी जावे।
e. मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग जयपुर का पत्र कमांक 1877 दिनांक 25.5.2023 पर श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी कानूनी कार्यवाही एवं श्रीमति धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता मथुरिया के संबंध में वर्ष, 2001 एवं 2003 की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा प्लॉट संख्या 75, रामलीला मैदान खण्डार की वर्ष,2001 से 2003 की मतदाता सूची चाही गयी थी परन्तु उपजिला निर्वाचन अधिकारी के पत्रांक 1876 दिनांक 11.8.2023 के साथ मुझे भाग संख्या 181 क्यारदा कलां की मतदाता सूची उपलब्ध करवायी गयी है जो गलत है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु सख्या A लगायत E की सूचना मुझ अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः सूचना उपलब्ध करवाने बाबत अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/चुनाव/सूकाअ/2023/1876 दिनांक 11.8.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट को चाही गयी सूचना भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 14.6.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या A,C,D,E, मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु बिन्दु संख्या B से संबंधित सूचना अपीलान्ट को गलत उपलब्ध करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकार को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु सख्या B की सूचना (रामलीला मैदान खण्डार की वर्ष 2001 [illegible] मतदाता सूची) अपीलान्ट को 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के [illegible] अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से बाहर हो [illegible] अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:41:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner